पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त विधेयक को राज्यपाल ने राज्य सरकार को प्रेषित किया

लखनऊः 5 मार्च, 2018

राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द से सहमति प्राप्त 'विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (सेवा शर्त) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक 2017' से संबंधित पत्रावली राज्यपाल श्री राम नाईक ने राज्य सरकार को प्रेषित कर दी है। राज्य विधान मण्डल से पारित होने के पश्चात इस विधेयक को राज्यपाल द्वारा 16 अगस्त, 2017 को राष्ट्रपति के विचारार्थ प्रेषित किया था।

'विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (सेवा शर्त) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक 2017' द्वारा पूर्व में स्थापित 'विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (सेवा शर्त) अधिनियम 1976' में संशोधन कर 'धारा 10-क' बढ़ायी गई है। पूर्व में स्थापित अधिनियम में संशोधन कर्मचारियों की सेवा संबंधी मुकदमों से बचने और लम्बित वादों की संख्या में कमी लाने तथा लघु अपराधों के शमन करने के उद्देश्य से किया गया है। चूंकि कतिपय अधिष्ठानों के कर्मचारियों की सेवा शर्तों के विनियमन की व्यवस्था करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 'विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (सेवा शर्त) अधिनियम, 1976' पूर्व से अधिनियमित है अतः राज्य विधान मण्डल से पारित विधेयक पर 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद-254 के प्राविधानानुसार राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक थी।

अंजुम/ललित/राजभवन (92/8)